

09.09.25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष की
वहम पर मनन करने एवं पत्रावली का
अलोकन करने पर अर्थागण का प्रारंभ स्वीकार
योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किया
जाता है। विस्तृत निर्णय प्रारंभ से लिखा
जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली बाद तरीक
तकमिल होकर दायित्व दफ्तर है।

निर्णय लिखा जाकर बुले-पापलप
में सुनाया गया।



(सुनीलकुमार-चौहान)
RAS.